कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 16/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.01.2026

थाना – तरवां, जनपद आजमगढ़ | दिनांक 10.01.2026

पुलिस मुठभेड़ में गौकशी व गैंग्स्टर से जुड़े शातिर अभियुक्त एकरार घायल/गिरफ्तार, अवैध असलहा, कारतूस व बिना नम्बर प्लेट की एक मोटरसाइकिल बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार, के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पाण्डेय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना तरवां पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गोकशी व गैगेस्टर से सम्बन्धित 01 शातिर अभियुक्त को अवैध असलहा, कारतूस व बिना नम्बर प्लेट की 01 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण :

- दिनांक- **09/10.01.2026** की रात्रि में थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी।
- चेकिंग के दौरान **पकड़ी मोड़ से लगभग 300 मीटर आगे पकड़ीकला मार्ग** पर एक मोटरसाइकिल तेज गति से आती हुई दिखाई दी। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल रोकने का इशारा किया गया, जिस पर चालक अचानक दिशा बदलकर भागने का प्रयास करने लगा और फिसलकर गिर पड़ा। गिरने के पश्चात अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर **जान से मारने की नीयत से फायर** किया गया। आत्मरक्षार्थ थानाध्यक्ष द्वारा **01 राउंड फायर** किया गया, जिससे अभियुक्त घायल हो गया।
- इसी दौरान अभियुक्त का एक अन्य साथी **अंधेरे का लाभ उठाकर खेतों की ओर फरार** हो गया।
- घायल अभियुक्त की पहचान **एकरार पुत्र फिरोज**, निवासी कस्बा देवगांव, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग **24 वर्ष**, को दिनांक- 09/**10.01.2026** की रात्रि लगभग **12.55 बजे** पुलिस हिरासत में लेकर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।
- अभियुक्त के कब्जे से निम्न बरामदगी की गई—
  - 01 अदद तमंचा **.315 बोर**
  - 01 अदद **खोखा कारतूस**
  - 01 अदद **मिस कारतूस (.315 बोर)**
  - 01 अदद मोटरसाइकिल **सुपर स्प्लेंडर (बिना नंबर)**
- अभियुक्त के विरुद्ध **धारा 109, 2(30), 317(2) भा0न्या0सं0** एवं **धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- प्रकरण की प्रारम्भिक विवेचना **उ0नि0 रुपेश सिंह** द्वारा संपादित की जा रही है।

अपराध का तरीका:

गिरफ्तार अभियुक्त एकरार पुत्र फिरोज अपने अन्य साथियों के साथ संगठित रूप से पशु चोरी व गौकशी की घटनाओं को अंजाम देता था। यह गिरोह रात्रि के समय ग्रामीण व अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहकर पशुओं की रेकी करता था तथा अवसर पाकर पशुओं की चोरी करता था। चोरी के पशुओं को एकांत स्थानों पर ले जाकर अवैध रूप से काटकर उनका मांस बेचने की योजना बनाता था।

पुलिस की चेकिंग अथवा गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त अपने पास अवैध असलहा रखता था तथा पकड़े जाने की स्थिति में पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने का प्रयास करता था। घटना के समय भी अभियुक्त अपने साथी के साथ चोरी की फिराक में था और पुलिस चेकिंग के दौरान जान से मारने की नीयत से फायर किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 -004/2026 धारा – 109,2(30),317(2) भा0न्या0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त-

1-एकरार पुत्र फिरोज, निवासी कस्बा देवगांव, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग **24 वर्ष**

फरार अभियुक्त-

1-हासिम पुत्र मुख्तार निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास---

1. मु0अ0सं0- 326/2022 धारा-147,149,307,332,353,504 भादवि व 2/3 सा0सम्पति0 अधि0 थाना बरदह , आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 230/2023 धारा- 3(1)यूपी0 गैगेस्टर एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-415/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 386/2022 धारा- 380,411,413,457 भादवि थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1- एक अदद तमंचा .315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक मिस कारतूस

2- बिना नंबर की 01 मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1.थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार थाना तरवां जनपद आजमगढ

2.व0उ0नि0 अजय कुमार सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

3.उ0नि0 दिनेश कुमार पाल थाना तरवां जनपद आजमगढ़

4.उ0नि0 अतुल मिश्रा थाना तरवां जनपद आजमगढ़

5.का0 महेश यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़

6.का0 सौरव सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

7.म0का0 नगीना पटेल थाना तरवां जनपद आजमगढ़

8.का0 प्रवीन यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़

9.का0 जीतेन्द्र निषाद थाना तरवां जनपद आजमगढ़